प्रेस नोट

दिनांक 15.02.2025

02 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के कोतवाली राठ व कोतवाली मौदहा से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

1.अभियुक्त- मोइनुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 29.01.2025 से 06 माह।

2.अभियुक्त योगेन्द्र राजपूत पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 29.01.2025 से 06 माह।